



पत्रांक: 2165/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020

दिनांक: 02/05/2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/शिक्षक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय— उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई-कन्टेन्ट्स हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल हेतु ई-कन्टेन्ट्स आदि की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षको द्वारा विशेष योगदान करते हुये विकसित किये गये विभिन्न विषयों के ई-कन्टेन्ट्स आदि को एक केन्द्रीयकृत पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या- 969/सत्तर-3-2020-8(23)/2020 दिनांक 30.04.2020 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। (प्रति-संलग्न)

उक्त शासनादेश के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपनी सूचना निम्नलिखित गूगल फार्म का प्रयोग करते हुये दिनांक 06.05.2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<https://forms.gle/HnFpAB7B6reYkiVv8>

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

दिनांक 02/05/2020

पत्रांक: 2165/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2- कोडिंग प्रभारीको इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।

3-सम्बन्धित पत्रावली।

प्रेषक,
मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2020

विषय : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई-कन्टेन्ट्स हेतु पोर्टल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विशेष योगदान करते हुये विभिन्न विषयों के ई-कन्टेन्ट्स विकसित किये गये हैं। वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा को सुगम बनाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग ई-कन्टेन्ट्स को एक केन्द्रीयकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को निर्देशित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए ई-कन्टेन्ट्स की सूची तैयार कर लें तथा उनकी महत्ता/उपयोगिता की परख विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा करवा लें। इनमें विभिन्न माध्यमों यथा-पीडीएफ, वीडियो, आडियो एवं पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन इत्यादि में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट्स शामिल किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर जो ई-कन्टेन्ट्स उच्च कोटि के पाए जाएं, उनकी सूची श्री संजय दिवाकर, उपनिदेशक रूसा (ई-मेल-eportalup@gmail.com) को 6 मई तक उपलब्ध कराई जाए। सूची में ई-कन्टेन्ट का विषय, मेटाडॉटा आदि विवरण का उल्लेख किया जाए।


(2) उपरोक्तानुसार अन्तिमीकृत किये गये ई-कन्टेन्ट्स को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं कापीराईट अधिनियम का पूर्णतः पालन करते हों तथा ई-कन्टेन्ट्स में यदि किसी विशेष पुस्तक, जर्नल इत्यादि

का उल्लेख किया गया है तो अनिवार्य रूप से ई-कन्टेन्ट के अन्त में संदर्भ के रूप में इसका उल्लेख किया जाये।

(3) मेटाडॉटा तैयार करते समय विशेष रूप से विषय का नाम, टॉपिक का नाम, सब-टॉपिक का नाम, कोर्स का नाम, कोर्स का वर्ष विशेष रूप से इंगित किया जाये ताकि छात्र किसी भी माध्यम से सर्च कर वांछित मैटीरियल को प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पोर्टल विकसित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अनुरोध है कि समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये ई-कन्टेन्ट्स की सूची 6 मई तक उपलब्ध कराए तथा आवश्यक डाटा भी अपने पास सुलभ तैयार रखें ताकि पोर्टल विकसित होते ही उन्हें अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

भवदीया,


(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या : 969 (1) / सत्तर-3-2020-8(23) / 2020

प्रतिलिपि श्री संजय दिवाकर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), इन्दिरा भवन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,


(अब्दुल समद)
विशेष सचिव


30/4/2020